उत्तर प्रदेश में मानसून के लिए उपाय

मानसून के मौसम के निकट आने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

उठाए गए कदम

- मानसून की बारिश के बाद संभावित बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक योजना का निर्माण।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निवासियों और उनके पशुओं को सुरक्षित क्षेत्रों में समय पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करना है।
- बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य को **तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: 29 अत्यधिक संवेदनशील, 11 संवेदनशील और 35 सामान्य जिले।**
- सिंचाई, कृषि और पशुपालन विभागों के अधिकारियों सहित टीमों को इन क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है।
- इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी और मौसम विभाग भी हाई अलर्ट पर हैं।
- **एनडीआरएफ की सात टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की 17 टीमें पहले से तैनात कर दी गई हैं।**
- राहत आयुक्त कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मौसम विज्ञान, सिंचाई एवं कृषि विभागों और केंद्रीय जल आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक दैनिक समीक्षा प्रणाली भी स्थापित की है।
- राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है, जो **24/7 राहत हेल्पलाइन (1070) के लिए 20 सीटों वाला कॉल सेंटर चला रहा है।**
  - यह केंद्र बाढ़ प्रभावित जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों को एसएमएस और वॉयस कॉल के माध्यम से अद्यतन जानकारी देगा।
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ 24 घंटे काम करने वाले जिला आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं और उन्हें राज्य स्तरीय राहत नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। सभी जिलों को बाढ़ की तैयारी की चेकलिस्ट भेज दी गई है।
- राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ और अन्य **आपदाओं से निपटने के लिए 400 'आपदा मित्र'** भी तैनात किए हैं और उन्हें 15 दिन का प्रशिक्षण, वर्दी, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की है। इसके अलावा, आपातकालीन स्थितियों में सहायता के लिए 10,500 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति

यूपी सरकार द्वारा 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति में एक महत्वपूर्ण विकास किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **दिव्यांगों के लिए:** इन उपायों के तहत, दिव्यांग कार्मिकों या जिनके परिवार के आश्रित सदस्य **40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से प्रभावित** हैं, उन्हें सामान्य स्थानांतरण से छूट दी जाएगी।
  - दिव्यांगों का स्थानांतरण केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाएगा। पदों की उपलब्धता के आधार पर तथा दिव्यांगों के अनुरोध पर उन्हें उनके गृह जिले में पदस्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

- **विशेष प्रक्रियाएँ:** नई स्थानांतरण नीति में विशिष्ट परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस नीति के अनुसार, **मानसिक रूप से विकलांग या चलने-फिरने में अक्षम दिव्यांगों के माता-पिता** प्रमाणित सरकारी डॉक्टर की संस्तुति के आधार पर ऐसे स्थान पर नियुक्ति का अनुरोध कर सकते हैं जहाँ पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों या जहाँ उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
- **व्यक्तिगत कारण:** इसके अतिरिक्त, अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे कि **चिकित्सा उपचार या** बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानांतरण या समायोजन पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई पद उपलब्ध हो या किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के साथ समझौता हो तो ऐसे स्थानांतरण या व्यवस्थाएँ आगे बढ़ सकती हैं, बशर्ते कि कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
- **पति-पत्नी का मामला:** नई नीति के तहत यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उन्हें यथासंभव एक ही जिले, शहर या स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार, **समूह ग और घ के कर्मचारी जो** दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें उनके गृह जिले में पदस्थापित करने पर विचार किया जाएगा तथा समूह क और ख के कर्मचारियों को उनके गृह जिले को छोड़कर इच्छित जिले में पदस्थापित करने पर विचार किया जाएगा। उस संभाग या जिले में उनकी पूर्व में की गई पदस्थापन अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- इस नीति के तहत, ग्रुप ए और ग्रुप बी के उन अधिकारियों का तबादला किया जा सकेगा, जिन्होंने जिले में तीन साल और संभाग में सात साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि, ग्रुप सी और ग्रुप डी के सबसे उम्रदराज अधिकारियों का तबादला पहले किया जाएगा।
- इसके अलावा, पदोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि के परिणामस्वरूप रिक्त पदों के लिए स्थानांतरण हो सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी को रिक्त पदों पर पदोन्नति के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण नहीं माना जाएगा, और पदोन्नति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर की जाएँगी। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे स्थानांतरण पारदर्शी और निष्पक्ष सिद्धांतों के आधार पर किए जाएँ।
- **आकांक्षी जनपद: केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना** के अन्तर्गत प्रत्येक चरण में प्रत्येक विभाग के समस्त पदों को आकांक्षी जिला योजना से सम्बन्धित **समस्त आठ जनपदों (चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच)** तथा राज्य द्वारा घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में स्थानान्तरित करते हुए भरा जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, इन आकांक्षात्मक जिलों तथा बुन्देलखण्ड के समस्त जिलों के साथ-साथ 34 जिलों के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा तब तक स्थानान्तरण के पश्चात कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।
  - यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

ग्रुप सी और ग्रुप डी के तबादलों का प्रबंधन पूरी तरह से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रणाली तबादले के बाद कार्यभार सौंपने और कार्यभार ग्रहण करने की ऑनलाइन व्यवस्था की सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह सेवा पुस्तिकाओं और अधिकारियों के वेतन के डिजिटलीकरण की भी अनुमति देता है।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है।

AKIC के बारे में

- AKIC का विकास **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।**
- इसमें आगरा और परगना जिले में दो नोड शामिल हैं।
- इसका विस्तार **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे सात राज्यों के 20 शहरों में है।**
- **उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं:** उत्तर प्रदेश में AKIC के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में आगरा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) (1,059 एकड़) और सरस्वती हाई-टेक सिटी, प्रयागराज (1,141 एकड़) शामिल हैं।

उद्देश्य

- AKIC का उद्देश्य **क्षेत्र की वर्तमान आर्थिक और रोजगार क्षमता को अनुकूलित करना** , विशेष रूप से विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, सेवाओं और निर्यातोन्मुख इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करना और उच्च मानक बुनियादी ढांचे और सक्षम कारोबारी माहौल के निर्माण के माध्यम से क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- यह गलियारा विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक को कवर करता है तथा तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में रहने वाली **भारत की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को सहारा देता है।**

आगे का मार्ग

- उत्तर प्रदेश राज्य विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है, जैसे **माल ढुलाई गलियारे, शुष्क बंदरगाह, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, राजमार्ग, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स केंद्र।**
- AKIC का उद्देश्य अपने मार्ग पर पड़ने वाले सात राज्यों में बुनियादी ढांचे और उद्योग का विस्तार करना है, ताकि औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
- यह उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।

समाचार पर अधिक जानकारी

- जन-धन खाते खोलने में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर है तथा इस योजना की महिला लाभार्थियों की संख्या भी यहां सबसे अधिक है।
- राज्य वंचितों के लिए केंद्र सरकार की अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी अग्रणी है।

प्रमुख बिंदु

- देशभर में जनधन खाताधारकों की संख्या 52 करोड़ से अधिक हो गई है, अकेले उत्तर प्रदेश में 9.33 करोड़ खाताधारक हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है ।
- **ग्रामीण और अर्ध शहरी:** 29 मई 2024 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 6.71 करोड़ खाताधारक रह रहे हैं, जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 2.61 करोड़ गरीब लोग रह रहे हैं। कुल मिलाकर इन 9.33 करोड़ खाताधारकों के खातों में 47,427.21 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

- वहीं, राज्य में RuPay कार्डधारकों की संख्या 6,14,39,064 है, जो देश में सबसे अधिक है।
- **महिला खाताधारक:** इसके अलावा, जहां देश में महिला जनधन खाताधारकों की संख्या 29.11 करोड़ है, वहीं यूपी में यह संख्या करीब पांच करोड़ है, जो राज्य की कुल खाताधारकों की संख्या के आधे से भी अधिक है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रत्येक परिवार को व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का **एक राष्ट्रीय मिशन है ।**
इनमें कम से कम एक **बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सेवाएं शामिल हैं।** लाभार्थियों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सहित एक रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार से मिलने वाले सभी वित्तीय लाभ - चाहे वे केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों से हों - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।

लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी

19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- **एएआई के प्रस्ताव में नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों** सहित हवाई अड्डे का विकास शामिल है।
- हवाई अड्डे की यात्री हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 एमपीपीए से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) करने के लिए अनुमानित वित्तीय व्यय 2869.65 करोड़ रुपये होगा।
- 75,000 वर्ग मीटर में फैली नई टर्मिनल बिल्डिंग को 6 एमपीपीए की क्षमता और 5000 पीक ऑवर यात्रियों (पीएचपी) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे शहर की विशाल सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्रस्ताव में रनवे को 4075 मीटर x 45 मीटर तक विस्तारित करना तथा 20 विमानों को पार्क करने के लिए एक नया एप्रन बनाना शामिल है।

ग्रीन एयरपोर्ट

- **वाराणसी हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा,** जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा अनुकूलन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, सौर ऊर्जा का उपयोग, तथा प्राकृतिक दिन के प्रकाश को शामिल करके पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही योजना, विकास और परिचालन के चरणों में अन्य स्थायी उपाय भी किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

- यूपी सरकार ने राज्य के शैक्षणिक ढांचे को उन्नत तकनीक के साथ आधुनिक बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल के तहत **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एक बड़ा तकनीकी उन्नयन शुरू किया गया है, जहां छात्रों की लाइव उपस्थिति उनके चेहरे के बायोमेट्रिक्स के माध्यम से दर्ज की जाएगी।**
- **उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के नामों** में मामूली संशोधन करते हुए उनके नामों से 'राज्य' शब्द हटा दिया है:

- महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय (आजमगढ़),
- माँ शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय (सहारनपुर),
- माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय (मिर्जापुर),
- माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय (बलरामपुर), एवं
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (मुरादाबाद)।

- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (मुरादाबाद) का नाम बदलकर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कर दिया गया है ।
- **यूपी सरकार ने दो नए निजी विश्वविद्यालयों** को आशय पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया है। इनमें से एक एचआरआईटी (गाजियाबाद) और दूसरा फ्यूचर यूनिवर्सिटी (बरेली) है, दोनों ने ही मानक पूरे कर लिए हैं।

समाचार में स्थान

नालंदा के खंडहर	19 जून 2024 को प्रधानमंत्री ने बिहार में नालंदा के खंडहरों का दौरा किया। नालंदा के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन नालंदा के खंडहरों में मठवासी और शैक्षणिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। **इसमें स्तूप, मंदिर, विहार (आवासीय और शैक्षणिक भवन) और प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शामिल हैं। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है।**

अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण समसामयिकी

बिहार	19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने **बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।** विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों के बीच सहयोग के रूप में की गई है। इस नए परिसर में 40 कक्षाओं के साथ दो शैक्षणिक ब्लॉक होंगे, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता होगी। नए परिसर में दो सभागार हैं, जिनमें से प्रत्येक में 300 सीटें हैं, और एक छात्र छात्रावास है जिसमें लगभग 550 छात्र रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिसर में कई अन्य सुविधाएँ भी हैं, जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक एम्फीथिएटर, एक संकाय क्लब और एक खेल परिसर। परिसर को **'नेट ज़ीरो' ग्रीन कैंपस के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सौर संयंत्र, जल उपचार, रीसाइक्लिंग सुविधाएँ और 100 एकड़ में फैले विशाल जल निकाय शामिल हैं।**

❍❍❍❍